प्रेस नोट थाना कैंट जनपद गोरखपुर दिनांक 06.05.2025

धोखाधड़ी व जालसाजी करने वाले 02 अपराधियो के विरूद्ध गैंगेस्टर एक्ट के तहत की गयी कार्यवाही

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा संगठित अपराधों पर अंकुश लगाने एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, पुलिस अधीक्षक नगर के मार्गदर्शन में, क्षेत्राधिकारी कैण्ट के पर्यवेक्षण में व प्रभारी निरीक्षक कैण्ट द्वारा गैंग लीडर अक्षय कुमार मिश्रा पुत्र लालजी मिश्रा निवासी रामपुर मलौली थाना खजनी जनपद गोरखपुर व अजय कुमार श्रीवास्तव पुत्र रमेश चंद्र श्रीवास्तव निवासी छपरा खुर्द थाना एकौना जनपद देवरिया हाल मुकाम साकेत नगर थाना कोतवाली जनपद देवरिया के विरूद्ध गैंगेस्टर एक्ट की कार्यवाही की गयी। उक्त गैंग लीडर अक्षय कुमार मिश्रा उपरोक्त द्वारा अपने गिरोह के साथ मिलकर भौतिक, दुनियावी व अन्य लाभ प्राप्त के उद्देश्य से कालोनी विकसित करने का वादा कर दूसरे की जमीन को अपना बताकर जमीन को भौतिक रूप से दिखाते हुए लोगो से विभिन्न तरीके से पैसा ले लिया गया परन्तु किसी को भी कब्जा नही दिया गया। गैंग के सरगना एवं अन्य सदस्य का सामान्यतः जन मानस में भय एवं आतंक व्याप्त है, जिसके कारण इनको स्वतंत्र विचरण करने से रोकने एवं धोखाधड़ी जैसे अपराधों पर अंकुश लगाने हेतु श्रीमान् जिला मजिस्ट्रेट गोरखपुर द्वारा अनुमोदित गैंग चार्ट तैयार कर गैंग लीडर अक्षय कुमार मिश्रा उपरोक्त व गिरोह व गैंग के अन्य सदस्य के विरूद्ध थाना स्थानीय पर गैंगस्टर एक्ट के तहत मु0अ0सं0 268/2025 धारा 2(ख) की उप धारा (I) (XI)/3(1) उ0प्र0 गिरोह बन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 पंजीकृत किया गया।

अपराध का विवरण-

अभियुक्तगण द्वारा सृष्टि इन्फा एण्ड डेवलर्पस नजदीक पेट्रोल पम्प, रूस्तमपुर ढाला, थाना कैण्ट गोरखपुर में एक आफिस खोला गया, इसके आफिस पर आने वालो लोगो को अभियुक्तगण द्वारा अपने सहयोगी के साथ मिलकर शारदा सीटी नाम कि एक नई कालोनी मौजा तालनवार व मौजा वाघागाडा तप्पा भावापार हवेली परगना भावापार तहसील सदर जनपद गोरखपुर में विकसीत करने का वादा कर दूसरे की जमीन को अपना बताकर जमीन को भौतिक रूप से दिखाते हुए लोगो से विभिन्न तरिके से पैसा ले लिया गया परन्तु किसी को भी कब्जा नही दिया गया। यह गिरोह जनपद स्तर पर सक्रिय है। इस गिरोह द्वारा थाना स्थानीय क्षेत्र के साथ साथ जनपद गोरखपुर व अन्य जनपदो में अलग अलग जगह के रहने वाले अनेक लोगों से शारदा सीटी नाम कि कालोनी विकसीत करने के नाम से विश्वास में लेकर धोखाधडी, जालसाजी करते हुए सभी लोगो से अलग अलग पैसा लेकर हडप लिया गया तथा पैसा वापस मांगने पर अभियुक्तगण द्वारा जान माल की धमकी दी जाती थी।

पंजीकृत अभियोग का विवरण-

मु0अ0सं0 268/2025 धारा 2(ख) की उप धारा (I) (XI)/3(1) उ0प्र0 गिरोह बन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर

अभियुक्तों का नाम पता व आपराधिक इतिहास-

1. अक्षय कुमार मिश्रा पुत्र लालजी मिश्रा निवासी रामपुर मलौली थाना खजनी जनपद गोरखपुर **(गैंग लीडर)**

i. मु0अ0सं0 607/23 धारा 420/406/506 भा0द0वि0 थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर
ii. मु0अ0सं0 608/23 धारा 420/406/506 भा0द0वि0 थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर
iii. मु0अ0सं0 609/23 धारा 420/406/506 भा0द0वि0 थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर

iv. मु0अ0सं0 610/23 धारा 420/406/506 भा0द0वि0 थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर
v. मु0अ0सं0 611/23 धारा 420/406/506 भा0द0वि0 थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर
vi. मु0अ0सं0 612/23 धारा 420/406/506 भा0द0वि0 थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर
vii. मु0अ0सं0 613/23 धारा 420/406/506 भा0द0वि0 थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर

2. अजय कुमार श्रीवास्तव पुत्र रमेश चंद्र श्रीवास्तव निवासी छपरा खुर्द थाना एकौना जनपद देवरिया हाल मुकाम साकेत नगर थाना कोतवाली जनपद देवरिया

i. मु0अ0सं0 607/23 धारा 420/406/506 भा0द0वि0 थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर
ii. मु0अ0सं0 608/23 धारा 420/406/506 भा0द0वि0 थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर
iii. मु0अ0सं0 609/23 धारा 420/406/506 भा0द0वि0 थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर
iv. मु0अ0सं0 610/23 धारा 420/406/506 भा0द0वि0 थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर
v. मु0अ0सं0 611/23 धारा 420/406/506 भा0द0वि0 थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर
vi. मु0अ0सं0 612/23 धारा 420/406/506 भा0द0वि0 थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर
vii. मु0अ0सं0 613/23 धारा 420/406/506 भा0द0वि0 थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर